BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No- 902/2024

IN THE MATTER OF:

Ram Saran Gusain.

........APPLICANT

VERSUS

State of Uttarakhand & Others

............RESPONDENTS

INDEX

S. No.	Particulars	Date	Page No[s].
1.	Supplementary Affidavit on behalf of Respondent no. 6 against the Original Application No. 902/2024	26.03.2025	1-5
2.	Copy of Notice Dated 24.11.2023		6
3.	Copy of Reply dated 26.11.2023		7-8

PLACE: DEHRADUN

DATE:- 26.03.2025

PRESENTED BY:-

AAKASH JAIN

RESPONDENT NO. 6

(1)

₹10
UTTARAKHAND COURT FEE

NOTARIAL NOTARIAL

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL

BENCH, NEW DELHI

Original Application No- 902/2024

IN THE MATTER OF:

Ram Saran Gusain. **....APPLICANT**

VERSUS

State of Uttarakhand & Others

............RESPONDENTS

SUPPLIMETARY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO 6 AGAINST THE ORIGINAL APPLICATION NO. 902/2024

AFFIDAVIT OF MR. AAKASH JAIN S/O SHRI MUKESH KUMAR JAIN R/O 344 SHYAMPUR, TEHSIL RISHIKESH, DISTRICT DEHRADUN UTTARAKHAND

....DEPONENT

I, the Deponent named above do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That the Deponent is the Respondent No. 6 in the above noted Original Application and I am fully acquainted to the facts deposed below.

Akash Jain

2. That the contents of Supplementary Affidavit are true to my personal knowledge based on documents are true and that I have not suppressed any material facts.
3. That the deponent has filed his reply before the Hon'ble Tribunal.
4. That the respondent no. 6 on 18.02.2025 has seeked time for filling additional response regarding the notice issued against the respondent no.6 by the Sub Divisional Magistrate Rishikesh in respect to the complaint submitted against respondent no. 6.
5. That a show cause notice was issued on 24.11.2023 by the Sub Divisional Magistrate Rishikesh against the respondent no. 6 on a complaint made to the District Magistrate Dehradun against the respondent no. 6 regarding illegality in the work done by the respondent no. 6 at Trivani Ghat Rishikesh. (**Annexure No. 1**)
6. That vide notice dated 24.11.2023 SDM Rishikesh also orderd the Tehsildar Rishikesh and SHO Rishikesh to file a joint report in respect of the allegations made in the said complaint.

NOTARY GOVT. OF INDIA UTTARAKHAND
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District

7. That the respondent no. 6 on 26.11.2023 filed his reply before the SDM Rishikesh stating that the collection and transportation of the muck/silt deposited on the platform of Triveni Ghat Rishikesh was carried out by the answering Respondent strictly in accordance with the directions passed by this Hon'ble Tribunal from time to time & the guidelines issued by the State Government as well as other authorities also no mining action of any kind or excavation of sand, bajri from river bed of River Ganga was done by the answering Respondent also no heavy machines were used by the answering Respondent on site. (**Annexure No. 2**)
8. That the Tehsildar Rishikesh also submitted his report before the SDM Rishikesh.
9. That as per the report submitted by the Tehsildar Rishikesh before the SDM Rishikesh no illegality was found in the work which was being done by the answering respondent at Triveni Ghat Rishikesh also no mining action of any kind or excavation of sand, bajri from river bed of River Ganga was done by the answering Respondent also no heavy machines were used by the answering Respondent on site.

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District

10. That as per the joint report submitted by Tehsildar Rishikesh and Mining team Rishikesh no illegality was found in the work done by the answering respondent.

11. That the contract between the authorities and answering Respondent was only for collection, transportation and sale in the open market of the muck/silt deposited on the platform of Triveni Ghat Rishikesh and no mining action of any kind or excavation of sand, bajri from river bed of River Ganga was done by the answering Respondent also no heavy machines were used by the answering Respondent on site.

12. That the office of District Magistrate Dehradun (Mining Division) granted the contract to Respondent No.6 after submission of all the documents and completion of all the formalities as directed by the office of District Magistrate Dehradun (Mining Division). Also, all the work done by the Respondent No. 6 was strictly under the supervision of the office of District Magistrate Dehradun (Mining Division).

13. That the JCB (front Loader) used by answering Respondent was only used for collection of muck/ silt and no machines were ever used inside the River Ganga by the answering Respondent.

14. That all the collection and transportation of the muck/silt deposited on the platform of Triveni Ghat Rishikesh was carried out by the answering Respondent strictly in accordance with the directions passed by this Hon'ble Tribunal from time to time & the guidelines issued by the State Government as well as other authorities.

15. That the fact stated in the above supplementary Affidavit are true my knowledge and believe no part of the same is all and nothing material as been concealed there from.

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND
Rajendra Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 19101/2002

....DEPONENT

VERIFICATION:-

I, the Deponent named above do hereby verify that the contents of the above affidavit in paras 1 to 15 are true to my personal knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed. So help me God.

Verified at Dehradun on 26.03.2025

....DEPONENT

Identified by

Siddharth M. Kala
Advocate
Reg. No. U.K. 46/2020

1429/25

ATTESTED

26/3/25

(RAJENDER SINGH NEGI)
Advocate & NOTARY
Chamber No. 92, 1st Floor
Opposite Bar Office
Collectorate Court Compound
Dehradun (Uttarakhand)

कार्यालय उप जिलाधिकारी ऋषिकेश जनपद देहरादून।

संख्याः– 1420 /एस0पी0ए0–विविध पत्रा0–2023 दिनांक 24 नवम्बर 2023

:: नोटिस ::

श्री आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन,
निवासी 344 श्यामपुर ऋषिकेश।

विषय– दिनांक 18.11.2023 से 8.12.2023 तक त्रिवेणी घाट (ऋषिकेश) से मलवा उठान हेतु आपको दी गई अनुमति के क्रम में अनियमितता बरतने विषयक।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय, देहरादून के पत्र संख्या 1184/खनिज–अनु0/2023 दिनांक 18.11.2023 के द्वारा दिनांक 18.11.2023 से 8.12.2023 तक त्रिवेणी घाट (ऋषिकेश) से मलवा उठान हेतु आपको अनुमति दी गई है। उक्त अनुमति हेतु नीलामी की तिथि दिनांक 27.10.2023 को नीलामी की शर्तों में स्पष्ट किया गया था कि किसी भी दशा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात RBM की निकासी नहीं की जाएगी, किन्तु विभिन्न माध्यमों से शिकायत प्राप्त हो रही है कि उक्त शर्त का अनुपालन ना करते हुये आपके द्वारा रात्रि के समय मशीनों द्वारा मलवा उठान आदि का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के साथ फोटो एवं वीडियो भी प्राप्त हुये है। जिनकी जांच गतिमान है, प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आपके द्वारा नीलामी की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः आप दिनांक 28.11.2023 को अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होकर कारण दर्शित करें कि क्यूँ ना आपकी नीलामी आवंटन को निरस्त करते हुए आपके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाए।

उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

प्रतिलिपि– तहसीलदार ऋषिकेश/थानाध्यक्ष ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्राप्त शिकायतों के क्रम में उपलब्ध कराए गए फोटो/वीडियों की त्रिवेणी घाट मार्ग के सी0सी0टी0सी0 से मिलान कर सत्यता के सम्बन्ध में संयुक्त जांच आख्या 02 दिवस भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

: : संशोधित आदेश : :

उपजिलाधिकारी ऋषिकेश के पत्र संख्या 1238/एस०डी०एम०-विविध पत्रा०/2023 दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 एवं उपजिलाधिकारी ऋषिकेश के द्वारा प्रेषित तहसीलदार ऋषिकेश के पत्र संख्या 1019/आर०सी०-नीलामी 2023 दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 एवं उच्चतम बोलीदाता श्री आकाश जैन के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक [illegible] के आधार पर तहसील ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत (त्रिवेणी घाट के प्लेट फॉर्म एवं अन्य स्थल पर एकत्रित) उपखनिज रेत की मात्रा कुल 1253.7 टन यानि 696.50 घनमीटर की नीलामी दिनांक 27.10.2023 को सम्पन्न हुई है, जिसमें उच्चतम बोलीदाता श्री आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन निवासी 344 श्यामपुर ऋषिकेश जनपद देहरादून के द्वारा रू0 96,000.00 लगाई गयी। बोलीदाता के द्वारा रायल्टी की धनराशि रायल्टी का 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू0 1,755.00 तथा रायल्टी का 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क रू0 8776.00 तथा रायल्टी का 15 प्रतिशत जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास हेतु रू0 13,164.00 तथा रायल्टी उच्चतम बोली के रूप में 96,000.00 को लेखाशीर्षक एवं जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के खाते में जमा करा दिये गये है।

एतद्द्वारा निम्न लिखित शर्तों के अधीन उच्चतम बोलीदाता श्री आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन निवासी 344, श्यामपुर ऋषिकेश जनपद देहरादून को तहसील ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत (त्रिवेणी घाट के प्लेट फॉर्म एवं अन्य स्थल पर एकत्रित) उपखनिज रेत की मात्रा कुल 1253.7 टन यानि 696.50 घनमीटर के परिवहन हेतु पुनः दिनांक 18.11.2023 से दिनांक 08.12.2023 अर्थात् 20 दिन की अनुमति निम्न लिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है –

1– अनुज्ञाधारक अनुमत स्थल से उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा, जिससे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को कोई क्षति न पहुँचे।

2– अनुज्ञाधारक अनुमत भूमि से लगे अन्य की भूमि/नाला/सम्पत्ति/वृक्ष/सड़क को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुचायेगा।

3– अनुज्ञाधारक द्वारा डम्पिंग जोन से रेत उपखनिज का परिवहन करते समय यातायात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जायेगा।

4– अनुज्ञाधारक को उक्त कार्य उपरोक्त अवधि में ही पूर्ण करना होगा।

5– अनुज्ञाधारक प्रस्तावित स्थल से उत्खनिज उपखनिज को अन्यत्र प्रेषण/निकासी प्रपत्र एम०एम०-11 पर करेगा।

उपरोक्तानुसार शर्त संख्या 01 से 05 तक का उल्लंघन करने पर अनुज्ञाधारक स्वयं उत्तरदायी होगा।

ह0/–
(सोनिका)
जिलाधिकारी, देहरादून।
17.11.2023

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

E-Mail ID-dehradundm@gmail.com PHONE-0135-2622389 FAX-2720025

पत्र संख्या 1184 /खनिज–अनु0/2023 दिनांक 18 नवम्बर, 2023

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
4– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग देहरादून।
5– उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश/जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कर प्रगति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त अवधि में सम्पूर्ण उपखनिज का निस्तारण करा लिया जाय।
6– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड सुभाष रोड देहरादून।
7– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून।
8– थानाध्यक्ष, थाना ऋषिकेश।
9– श्री आकाश जैन पुत्र श्री श्री मुकेश मुकेश कुमार जैन निवासी 344, श्यामपुर ऋषिकेश जनपद देहरादून कि उक्त अवधि में सम्पूर्ण उपखनिज का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

(शालिनी नेगी)
प्रभारी अधिकारी (खनन),
कृते जिलाधिकारी,
देहरादून।

: : आदेश : :

उपजिलाधिकारी ऋषिकेश के पत्र संख्या-1238/एस0पी0ए0-विविध पत्रा0/2023 दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 एवं उपजिलाधिकारी ऋषिकेश के द्वारा दिनांक 01.11.2023 के द्वारा प्रेषित तहसीलदार ऋषिकेश के पत्र संख्या-1019/आर0सी0-नीलामी-2023 दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 के आधार पर तहसील ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत (त्रिवेणी घाट के प्लेट फॉम एवं अन्य स्थल पर एकत्रित) उप खनिज रेत की मात्रा कुल 1253.7 टन यानि 696.50 घनमीटर की नीलामी दिनांक 27.10.2023 को सम्पन्न हुई है, जिसमें उच्चतम बोलीदाता श्री आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन निवासी 344, श्यामपुर ऋषिकेश जनपद देहरादून के द्वारा रू0 96,000.00 लगाई गयी। बोलीदाता के द्वारा रायल्टी की धनराशि रॉयल्टी का 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू0 1,755.00 तथा रॉयल्टी का 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क रू0 8776.00 तथा रॉयल्टी का 15 प्रतिशत जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास हेतु रू0 13,164.00 तथा रायल्टी उच्चतम बोली के रूप में 96,000.00 को लेखाशीर्षक एवं जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के खाते में जमा करा दिये गये है।

एतदद्वारा निम्न लिखित शर्तों के अधीन उच्चतम बोलीदाता श्री आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन निवासी 344, श्यामपुर ऋषिकेश जनपद देहरादून को तहसील ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत (त्रिवेणी घाट के प्लेट फॉम एवं अन्य स्थल पर एकत्रित) उपखनिज रेत की मात्रा कुल 1253.7 टन यानि 696.50 घनमीटर के परिवहन हेतु दिनांक 07.11.2023 से दिनांक 16.11.2023 अर्थात् 10 दिन की अनुमति निम्न लिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1- अनुज्ञाधारक अनुमत स्थल से उपखनिज की नीकासी इस रीति से करेगा, जिससे कि पर्यावरण एव पारिस्थितिकी को कोई क्षति न पहुँचे।

2- अनुज्ञाधारक अनुमत भूमि से लगे अन्य की भूमि/नाला/सम्पत्ति/वृक्ष/सड़क को किसी प्रकार से क्षति नही पहुंचायेगा।

3- अनुज्ञाधारक द्वारा डम्पिंग जोन से रेत उपखनिज का परिवहन करते समय यातायात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जायेगा।

4- अनुज्ञाधारक को उक्त कार्य उपरोक्त अवधि में ही पूर्ण करना होगा।

5- अनुज्ञाधारक प्रस्तावित स्थल से उत्खनिज उपखनिज को अन्यत्र प्रेषण/निकासी प्रपत्र एम०एम०-11 पर करेगा।

उपरोक्तानुसार शर्त संख्या 01 से 05 तक का उल्लंघन करने पर अनुज्ञाधारक स्वयं उत्तरदायी होगा।

ह0/-
(सोनिका)
जिलाधिकारी, देहरादून।
03.11.2023

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

E-Mail ID-dehradundm@gmail.com PHONE-0135-2622389 FAX-2720025

पत्र संख्या 1161 /खनिज-अनु0/2023 दिनांक 06 नवम्बर, 2023

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- **जिलाधिकारी महोदय** की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2- **निदेशक**, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
3- **वरिष्ठ पुलिस** अधीक्षक, देहरादून।
4- **प्रभागीय वनाधिकारी**, वन प्रभाग देहरादून।
5- **उप जिलाधिकारी**, ऋषिकेश/जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय, **उत्तराखण्ड, देहरादून** को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कर प्रगति आख्या इस **कार्यालय** को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त अवधि में **सम्पूर्ण** उपखनिज का निस्तारण करा लिया जाय।
6- **अधिशासी अभियन्ता**, सिंचाई खण्ड सुभाष रोड देहरादून।
7- **अधिशासी अभियन्ता**, पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून।
8- **थानाध्यक्ष**, थाना ऋषिकेश।
9- श्री आकाश जैन पुत्र श्री श्री मुकेश मुकेश कुमार जैन निवासी 344, श्यामपुर ऋषिकेश जनपद देहरादून कि उक्त अवधि में सम्पूर्ण उपखनिज का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

(शालिनी नेगी)
प्रभारी अधिकारी (खनन),
कृते जिलाधिकारी,
देहरादून।

दिनांक: 26/11/2023

सेवा में,

उपजिलाधिकारी महोदय
तहसील ऋषिकेश
जिला - देहरादून

विषय :- त्रिवेणी घाट से रेत निस्तारण को हुई नीलामी के सम्बन्ध में |

महोदय,

जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या 1161 दिनांक 06 नवम्बर 2023 एवं पत्र संख्या 1184 दिनांक 18 नवम्बर 2023 के सन्दर्भ में प्रार्थी को आपका नोटिस संख्या 1420 दिनांक 24 नवम्बर 2023 व्हाट्सप्प के माध्यम से प्राप्त हुआ | महोदय प्रार्थी को आवंटित रेत का निस्तारण करने का आदेश जिलाधिकारी कार्यालय से मिला था जिसमे कुछ शर्ते लिखी थी जिनका प्रार्थी ने पूर्ण रूप से पालन किया था | प्रार्थी ने उक्त काम में कोई भी अनियमित्ता नहीं बरती तथा जो भी कार्य हुआ वह तहसील एवं पुलिस प्रशासन एवं गंगा सभा की मौजूदगी में हुआ है |

महोदय जो भी अनियमितताएं या फिर सूर्यास्त के बाद काम का हवाला दिया गया वह प्रशासन की रजामंदी से ही हुआ है कुकी छठ एवं दीपावली का त्यौहार की वजह से मार्किट एरिया होने के कारण दिन में वह से रेता निकासी संभव नहीं है | जिस दिन से आपके यह से सूर्योदय के बाद काम न करने की हिदायत मिली उस दिन से काम बंद है कुकी दिन में निकासी एवं रात को लेबर कार्य नही कर सकती | यह परिस्थिति से तहसीलदार महोदय को नीलामी वाले दिन भी अवगत करा दिया गया था |

1. प्रार्थी ने स्थल से कोई RBM नहीं उठाया है |
2. प्रार्थी ने जिलाधिकारी कार्यालयादेश पत्र में अनुमोदित पांचो शर्तो का कोई उलंघ्यन नहीं किया है तथा पांचो शर्तो का पूर्ण रूप से पालन किया है |
3. दिन में उस जगह पर्यटक स्थल एवं मार्किट होने से कार्य नहीं किया जा सकता |
4. छठ से पहले तक हमारे कार्य से किसी को दिक्कत नहीं थी किन्तु जिस दिन से ब्लैकमेलर रामकृपाल गौतम एवं पत्रकार कृष्ण मुरारी जिसने हमरी मशीन तोड़ी की रिपोर्ट कराई तबसे हमे मौके पर कार्य करने में अप्पत्ति आ गयी |
5. आप मौके के सी० सी० टी० वी० फुटेज , प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराया फोटोग्राफ्स एवं 18 नवम्बर से रोजाना आपकी तहसील के अधिकारिओ द्वारा कराई गयी जांच एवं विजिट से तथा वर्तमान की स्थिति देख सकते है की मौके पर किसी प्रकार द्वारा कोई गड्ढा नहीं खोदा गया |
6. जो विडिओ एवं फोटोग्राफ्स मिले है वो प्रार्थी के साइट के नहीं हैं वो फ्रेम करके पुराने एवं अन्य जगह के हैं आप मौका निरिक्षण करके पता कर सकते है की मौके पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा |
7. वहाँ की फुटेज देख कर आपको पता लगेगा की 18 एवं 19 तारिख को वहाँ पर प्रार्थी के अलावा दो मशीन किसी लोकल असामाजिक तत्वों ने मंगाई थी, जो की वह पर प्रार्थी के द्वारा नीलामी में लिया गया उपखनिज से छेड़छाड़ की एवं उठा के गंगाजी में डाला गया |
8. प्रार्थी अपना पक्ष रखते हुए आपको यह बताना चाहता है की प्रार्थी को जो काम रेत निस्तारण का मिला है वह कोई खनन नहीं है जो नदी तल या किसी भूमि विशेष पर चल रहा हो, यह एक पर्यटक स्थल एव सरकारी भूमि के ऊपर एकत्रित रेत है जो की एक प्लेटफार्म पर भण्डारण किया हुआ है, अतः महोदय इसमें मशीन या लोडर से रेत का उठान मान्य होना चाहिए |
9. वह स्थल एक पर्यटक स्थल है जहाँ पर 24 घण्टे प्रयटक एवं साधु संत समाज उपस्थित रहता है, जगह जगह सी० सी० टी० वी० लगे हुए हैं अतः वहां पर किसी प्रकार से अवैध खनन करने का मौका असंभव है, प्रार्थी ने उक्त स्थल पर कोई अवैध खनन नहीं किया है|

—1—

PTO.

PTO.

10. स्थल पर कोई पट्टा नहीं है एक भण्डारण है जहाँ पर 2013 से यही काम हर वर्ष चलता आ रहा है, तथा जिस प्रकार से प्रार्थी कर रहा है ऐसे ही होते आया है | उक्त मौके का कभी इसी कारणवश सीमांकन नहीं होता है | न प्रार्थी को कोई कॉर्डिनेट्स उपलब्ध प्रशासन द्वारा किये गए |

अतः प्रार्थी आपसे निवेदन करता है की प्रार्थी की विनती सुनें तथा कार्य करने की उचित अनुमति देने की कृपा की कृपा करें, क्योकि आपके प्रशासन द्वारा 24 नवम्बर से मौके पर कार्य बंद कराया जा चुका है | प्रार्थी ने उक्त उपखनिज का पैसा जमा किया है जिसमे लगभग 440 मीट्रिक टन उपखनिज प्रार्थी का वहाँ शेष है |

आपकी अति कृपा होगी |

प्रार्थी

26.11.23

आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश जैन
निवासी - 344, श्यामपुर, ऋषिकेश
+918954381514

प्रतिलिपि -

1. **जिलाधिकारी** महोदया देहरादून
2. **प्रभारी खनन** महोदया, देहरादून
3. **तहसीलदार** महोदय, ऋषिकेश
4. **थानाध्यक्ष** महोदय ऋषिकेश

BLOW HORN

खरीददारी का
BLIPUK APP